

# मायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाडमेर

करीडर/2025/6153

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 17.07.25

किशनाराम पुत्र  
माणकाराम निवासी  
महादेव नगर, मुढों  
की ढाणी तहसील  
बाडमेर ग्रामीण, जिला  
बाडमेर

अप्रार्थीगण


1 पूनमाराम 2 लूम्भाराम 3 फताराम 4 रामाराम 5 छोगाराम 6  
पेमाराम 7 डूंगराराम पिसरान आसूराम जाति-राव, निवासी  
महादेव नगर, मूढों की ढाणी 8 उदाराम पुत्र प्रभूराम 9 भोमाराम  
10 रूपाराम 11 तुलछाराम 12 रावाराम 13 आसूराम 14 अनाराम  
15 बावूराम पिसरान मंगलाराम जाति राव, निवासी विशनासर;  
मूढों की ढाणी 16 पोकरराम 17 भीमाराम पिसरान चेतनराम जाति  
कुम्हार 18 दिला खां पुत्र तालव खां जाति मुसलमान 19 सताराम  
पुत्र जगरामराम जाति जाट निवासी महादेव नगर, मुढों की ढाणी  
तहसील बाडमेर ग्रामीण 20 हेमाराम पुत्र धर्मराम जाति जाट  
निवासी पुरोहितो की वस्ती मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर  
ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 127/2025

दिनांक- 09/07/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर  
ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 368/276 रकबा 4.2897 हैक्टर, खसरा संख्या  
646/276 रकबा 1.2950 हैक्टर व खसरा संख्या 647/276 रकबा 1.9344 हैक्टर, व मौजा  
विशनासर पटवार क्षेत्र मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या  
478/242 रकबा 1.7644 हैक्टर व खसरा संख्या 527/242 रकबा 0.0728 हैक्टर, भूमि के  
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को  
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/-  
अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया  
जावेगा।

  
(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाडमेर

दिनांक- 17.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6154-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी किशनाराम पुत्र माणकाराम निवासी महादेव नगर, मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला  
बाडमेर
4. विप्रार्थीगण पूनमाराम पुत्र आसूराम वगैराह जाति-राव, निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी तहसील  
बाडमेर ग्रामीण, जिला बाडमेर



  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाडमेर